रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 1, 2015/वैशाख 11, 1937
No. 284] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 1, 2015 /VAISAKHA 11, 1937

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2015

सा.का.नि.357**(अ)**.—केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 13 की उप-धारा (2) और उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम (समूह 'ग' और समूह 'घ' प्रकीर्ण पद) भर्ती नियम, 1987 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतनमान वें होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** : यह व्यक्ति.-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु केंद्रीय सरकार के यह संतुष्ट होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**- जहां केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए, जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकते है।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. स्टॉफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)	15* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड – 1, 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 1900 रुपए	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों जिसके अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण भी हैं के कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पणी** :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णयक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

IndiaCode

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक :- (i) मोटर कार के चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो। (ii) मोटर यांत्रिकी का ज्ञान हो। (iii) मोटर कार चालन का तीन वर्ष का अनुभव (iv) मैट्रीकुलेशन या समतुल्य पास **वांछनीय :-** (i) गृह रक्षक या सिविल स्वंय सेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा **टिप्पण :-** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए अपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
(i) प्रतिनियुक्ति या आमेलन :- केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के नियमित सवार हरकारा या बहुकार्य कर्मचारीवृंद के (समूह 'ग') कर्मचारियों में से जो मोटर कार चलाने की क्षमता के निर्धारण हेतु चालन परीक्षण पर आधारित मोटर कार के लिए चालन अनुज्ञप्ति रखते हों जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों के नियमित आधार के सवार हरकारा या बहुकार्य कर्मचारीवृंद का पद धारण किए हुए अधिकारियों जो निम्नलिखित अर्हताओं को पूरा करते हैं, अर्थात् :- (i) मोटर कार चलाने के लिए विधिमान्य चालत अनुज्ञप्ति रखते हैं। (ii) मोटर यांत्रिकी का ज्ञान हो (iii) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो (iv) मैट्रीकुलेशन या समतुल्य पास हो **<u>भूतपूर्व सैनिकों के लिए :- प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन</u>** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो **- अध्यक्ष** 2. संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो **- सदस्य** 3. उप रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो **- सदस्य**	लागू नहीं होता।

IndiaCode

वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है : तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है: (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी 2)	15* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड – 1, 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2400 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति :- ऐसे स्टॉफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) जिनकी साधारण श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा है । **<u>टिप्पण 1 :-</u>** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **<u>टिप्पण 2 :</u>**- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिसे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो **- अध्यक्ष** 2. संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो **- सदस्य** 3. उप रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो **- सदस्य**	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी 1)	18* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड – 1, 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2800 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति :- ऐसे स्टॉफ कार ड्राइवर (श्रेणी-2), जिनकी श्रेणी-2 में पांच वर्ष की नियमित सेवा है। **टिप्पण 1 :-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2 :-** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिसे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो **- अध्यक्ष** 2. संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो **- सदस्य** 3. उप रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो **- सदस्य**	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी)	3* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड – 2, 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4200 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति :- ऐसे स्टॉफ कार ड्राइवर (श्रेणी 1) जिनकी श्रेणी-I में छह वर्ष की नियमित सेवा है। **टिप्पण 1 :-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2 :-** प्रोन्नति के लिए नयूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा,	समूह 'ख्' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामर्दिष्ट किया गया हो **- अध्यक्ष** 2. संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामर्दिष्ट किया गया हो **- सदस्य** 3. उप रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामर्दिष्ट किया गया हो **- सदस्य**	लागू नहीं होता।

IndiaCode

01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिसे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. सवार हरकारा	7* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड – 1, 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 1900 रुपए	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों जिसके अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण भी हैं, के कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पणी** :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) मोटर साइकिल या ऑटोरिक्शा के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखते हों। (ii) मोटर साइकिल या ऑटोरिक्शा चलाने का दो वर्ष का अनुभव । (iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्था से मैट्रीकुलेशन पास हो । **टिप्पण** :- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी, चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए अपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति या आमेलन :- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों या जिला न्यायालयों और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के नियमित समूह 'ग' कर्मचारियों में से जो मोटर साइकिल	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा	लागू नहीं होता ।

IndiaCode

या ओटोरिक्शा चलाने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किए चालन परीक्षण के आधार पर वेतन बैंड-1+ग्रेड वेतन 1800 रुपए में पदधारण किए हुए हैं और निम्नलिखित अहर्ताएं रखते हैं अर्थात् :- (i) मोटर साइकिल या ऑटोरिक्शा के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखते हों। (ii) मोटर साइकिल या ऑटोरिक्शा चलाने का दो वर्ष का अनुभव । (iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्था से मैट्रीकुलेशन पास हो । **<u>भूतपूर्व सैनिकों के लिए :- प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन</u>** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अहर्ताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है : तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	नामनिर्दिष्ट किया गया हो **- अध्यक्ष** 2. संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो **- सदस्य** 3. उप रजिस्ट्रार, अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो **- सदस्य**	

IndiaCode

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. गेस्टेनर ऑपरेटर	12* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड – 1, 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 1900 रुपए	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों जिसके अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण भी हैं के कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पणी** :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रीकुलेशन पास या समतुल्य। अनुलिपिकरण मशीन के प्रचालन में कम से कम एक वर्ष का अनुभव	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति या आमेलन :- (क) (i) ऐसे व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जो वेतन बैंड-। 5200-20200 रुपए के वेतनमान + ग्रेड वेतन 1800 रुपए के पद पर श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा है; या (iii) जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में वेतन बैंड-1 + ग्रेड वेतन 1800 रुपए के नियमित समूह 'ग' कर्मचारी है; और (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रीकुलेशन पास या समतुल्य। अनुलिपिकरण मशीन के प्रचालन में कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो **- अध्यक्ष** 2. संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो, अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो **- सदस्य** 3. उप रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो **- सदस्य**	लागू नहीं होता।

IndiaCode

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. फोटोकॉपियर	18* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड – 1, 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 1900 रुपए	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों जिसके अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण भी हैं के कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पणी** :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रीकुलेशन पास या समतुल्य तथा उसके साथ-साथ फोटो कॉपी मशीन के हैंडलिंग में अनुभव या प्रवीणता हो	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालय के समूह 'ग' कर्मचारियों और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के कर्मचारी जो वेतन बैंड – 1, 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 1800 रुपए में तीन वर्ष की नियमित सेवा है और निम्नलिखित अहर्ताएं रखते है, अर्थात् :- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रीकुलेशन पास या समतुल्य तथा उसके साथ फोटोकॉपी मशीन के हैंडलिंग में प्रवीणता या अनुभव हो ।	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो **- अध्यक्ष** 2. संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो **- सदस्य** 3. उप रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो **- सदस्य**	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. बहुकार्य कर्मचारीवृंद	419* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड – 1, 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 1800 रुपए	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों जिसके अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण भी हैं के कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पणी** :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णयक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समतुल्य	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जो अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट हो **- अध्यक्ष** 2. उप रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जो अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट हो **- सदस्य** 3. केंद्रीय सरकार के विभाग के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अधिकारी **- सदस्य**	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए-12011/2/2011-ए.टी.]

अर्चना वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2015

G.S.R. 357 (E).– In exercise of the powers conferred by Section 35 read with sub-sections (1) and (2) of Section 13 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985) and in supersession of the Central Administrative Tribunal (Group 'C' and 'D' Posts) Recruitment Rules, 1987 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' Posts in the Central Administrative Tribunal, namely: -

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.-** The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of said posts in the Tribunal:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Chairman, Central Administrative Tribunal is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Pay band and grade pay or pay scale**	**Whether selection post or non-selection post**	**Age limit for direct recruits**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	15* (2015) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-1 Rs.5200-20200 with grade pay of Rs.1900	Not applicable	Between 18 and 27 years (relaxable in the case of employees of the Central Government or State Government or Supreme Court or High Courts and the District Courts including the employees of the Central Administrative Tribunal up to the age of 40 years). **Note.-** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)

Educational and other qualifications required for direct recruits	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods**
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: - (i) Possessing a valid Driving Licence for Motor Car; (ii) Knowledge of Motor Mechanics; (iii) Experience of driving a Motor Car for at least three years; (iv) Pass in Matriculation or equivalent **Desirable**: - (i) Three years service as Home Guard or Civil Volunteers. **Note.-** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years	Direct recruitment failing which by deputation or absorption

IndiaCode

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
(11)	(12)	(13)
(i) Deputation or Absorption.- From amongst the regular Dispatch Rider or Multi Tasking Staff (Group 'C') employees in the Central Administrative Tribunal who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive motor cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or Multi Tasking Staff Group 'C' employees in other Ministries of the Central Government who fulfill the following qualifications, namely:- (i) Possessing a valid Driving Licence for Motor Car. (ii) Knowledge of motor mechanics; (iii) Experience of driving a Motor Car for at least three years; (iv) Pass in Matriculation or equivalent. For Ex-servicemen on Deputation or re-employment: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due to release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering of confirmation) consisting of –** **1**. Registrar, Central Administrative Tribunal nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - **Chairman** **2.** Joint Registrar, Central Administrative Tribunal nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - **Member** **3.** Deputy Registrar, Central Administrative Tribunal to be nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - **Member**	Not Applicable.

IndiaCode

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Staff Car Driver (Grade II)	15* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-1 Rs.5200-20200 with grade pay of Rs.2400/-	Non-selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion.- Staff Car Driver (Ordinary Grade) with nine years service in the grade. **Note 1.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less. **Note 2.-** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of that Commission	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of – **1**. Registrar, Central Administrative Tribunal nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - **Chairman** **2.** Joint Registrar, Central Administrative Tribunal nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - **Member** **3.** Deputy Registrar, Central Administrative Tribunal to be nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - **Member**	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Staff Car Driver (Grade I)	18* (2015) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C', Non-gazetted, Non-ministerial	Pay band-1 Rs.5200-20200 with grade pay of Rs.2800/-	Non-selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver (Grade II) with five years regular service in the grade. **Note 1.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less. **Note 2.-** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of that Commission.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering of confirmation) consisting of. –** **1**. Registrar, Central Administrative Tribunal nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - **Chairman** **2.** Joint Registrar, Central Administrative Tribunal nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - **Member** **3.** Deputy Registrar, Central Administrative Tribunal to be nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - **Member**	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Staff Car Driver (Special Grade)	3* (2015) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Non-ministerial	Pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4200/-	Non-selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: - Staff Car Driver (Grade I) with six years regular service in the grade **Note 1.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less. **Note 2.-** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of that Commission.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering of confirmation) consisting of: –** **1**. Registrar, Central Administrative Tribunal nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - **Chairman** **2.** Joint Registrar, Central Administrative Tribunal nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - **Member** **3.** Deputy Registrar, Central Administrative Tribunal to be nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - **Member**	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Dispatch Rider	7* (2015) *Subject to variation dependent on works	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-ministerial	Pay band-I Rs.5200-20200/- with grade pay of Rs.1900/-	Not applicable	Between 18 and 27 years (relaxable in the case of employees of the Central Government or State Governments or Supreme Court or High Courts and the District Courts including the employees of the Central Administrative Tribunal up to the age of 40 years). **Note.-** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

IndiaCode

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Possession of a valid Driving Licence for Motor Cycle or Auto Rickshaw. **(ii)** Two years experience in driving Motor Cycle or Auto Rickshaw. **(iii)** Pass in Matriculation or equivalent of any recognized Board or Institution**.** **Note.-** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits	By absorption or deputation failing which by direct recruitment

(11)	(12)	(13)
Deputation or absorption. From amongst the regular Group 'C' employees of Central Government or State Government or Supreme Court or High Court or District Courts and Central Administrative Tribunal holding post in pay band- I with grade pay of Rs. 1800/- on the basis of the result of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cycle or Auto Rickshaw and possessing following qualifications, namely:- **(i)** Possession of a valid Driving Licence for Motor Cycle or Auto Rickshaw. **(ii)** Two years experience in driving Motor Cycle or Auto Rickshaw **(iii)** Pass in Matriculation or equivalent of any recognized Board or Institution. For Ex-servicemen on Deputation or re-employment The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due to release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering of confirmation) consisting of. –** **1**. Registrar, Central Administrative Tribunal nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - **Chairman** **2.** Joint Registrar, Central Administrative Tribunal nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - **Member** **3.** Deputy Registrar, Central Administrative Tribunal to be nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - **Member**	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Gestetner Operator	12* (2015) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-1 Rs.5200-20200/- with grade pay of Rs.1900/-	Not applicable	Between 18 and 27 years (relaxable upto by 40 years in the case of employees of the Central Government or State Governments or Supreme Court or High Courts and the District Courts including the employees of the Central Administrative Tribunal).

					Note. - The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Matriculation pass or equivalent from a recognized university or Board. At least one year experience in operating duplicating machine.	Not applicable	Two years for direct recruits	By absorption or deputation failing which by direct recruitment

(11)	(12)	(13)
By Absorption or deputation: **(a) (i)** Persons holding analogous posts on regular basis in the Central Government or State Governments or Supreme Court or High Court and District Courts; or **(ii)** Posts in the scale of PB-1, Rs.5200-20200 with grade pay of Rs.1800/- with three years regular service in the grade; or **(iii)** Regular Group 'C' employees of the Central Administrative Tribunal in posts in PB-I with grade pay of Rs. 1800/-; and **(b)** Matriculation pass or equivalent from a recognized university or Board. At least one year experience in operating duplicating machine.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering of confirmation) consisting of. –** **1**. Registrar, Central Administrative Tribunal nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - **Chairman** **2.** Joint Registrar, Central Administrative Tribunal nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - **Member** **3.** Deputy Registrar, Central Administrative Tribunal to be nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - **Member**	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Photocopier	18* (2015) *Subject to variation dependenton workload	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-ministerial	Pay band-I, Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs.1900/-	Not applicable	Between 18 and 27 years (relaxable up to 40 years in the case of employees of the Central Government or State Governments or Supreme Court or High Courts and the District Courts including the employees of the Central Administrative Tribunal). **Note. -** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal

					Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Matriculation pass or equivalent from a recognized university or Board with proficiency or experience in handling photocopying machines.	Not applicable	Two years for direct recruits	By absorption or deputation failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
By absorption or deputation from amongst Group 'C' employees of the Central Government or State Government or High Court and District Courts and employees of the Central Administrative Tribunal with 3 years regular service in the scale of pay band-1, Rs.5200-20200/- with grade pay of Rs.1800/- and having following qualifications, namely:- Matriculation pass or equivalent from a recognized university or Board with proficiency or experience in handling photocopying machines.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering of confirmation) consisting of – **1**. Registrar, Central Administrative Tribunal nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - **Chairman** **2.** Joint Registrar, Central Administrative Tribunal nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - **Member** **3.** Deputy Registrar, Central Administrative Tribunal to be nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - **Member**	Not applicable

IndiaCode

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. Multi Tasking Staff	419* (2015) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non Ministerial	Pay band-I Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs.1800/-	Not applicable	Between 18 and 27 years (relaxable upto 40 years for Government Servants in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time. **Note. -** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Matriculation or equivalent from a recognized university or Board.	Not applicable	Two years	By direct recruitment

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering of confirmation) consisting of. – 1. Registrar or Joint Registrar, Central Administrative Tribunal nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal -Chairman 2. Deputy Registrar, Central Administrative Tribunal nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal -Member 3. Scheduled Castes or Scheduled Tribes Officers from the Central Government Department- Member	Not applicable

[F.No.A-12011/2/2011-AT]
ARCHANA VARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2015

सा.का.नि. 358(अ)-केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 13 की उप-धारा (2) और उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'ख' और समूह 'ग' प्रकीर्ण पद) भर्ती नियम, 1989 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में समूह 'ख' और समूह 'ग' प्रकीर्ण पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'ख' और समूह 'ग' प्रकीर्ण पद) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान :-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतनमान वें होंगें जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** : यह व्यक्ति :-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार के यह संतुष्ट होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकते हैं।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. अनुभाग अधिकारी या न्यायालय अधिकारी	88* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड – 2, 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4800 रुपए और 4800 रुपए ग्रेड वेतन की श्रेणी में चार वर्ष की सेवा पूरी करने पर वेतन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता